राजस्थान सरकार

प्रगति प्रतिवेदन
2025-26

राजस्थान राज्य खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति निगम लिमिटेड

राजस्थान राज्य खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति निगम लिमिटेड
–: एक परिचय :–

1. निगम की स्थापना :

माननीय मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान सरकार की वर्ष 2010–11 की बजट घोषणा की क्रियान्विति के क्रम में राज्य में सार्वजनिक वितरण प्रणाली को प्रभावी एवं सुदृढ बनाने हेतु राजस्थान राज्य खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति निगम लि0 की दिनांक 08.12.2010 को स्थापना की गई थी।

राजस्थान राज्य खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति निगम लि0 का रजिस्ट्रेशन दिनांक 08.12.2010 को कंपनी एक्ट की धारा 617 के अन्तर्गत किया गया है तथा रजिस्ट्रार कम्पनी मामले, राजस्थान जयपुर से दिनांक 27.12.2010 को निगम द्वारा व्यापार प्रारम्भ करने का प्रमाण पत्र प्राप्त किया गया।

2. निगम की अंश पूँजी :

निगम की अधिकृत अंश पूँजी 100 करोड रूपये है। वर्तमान में प्रदत्त अंश पूँजी 50 करोड रूपये है। 50 करोड रूपये के अंशों में से 49.93 करोड रूपये के अंश महामहिम राज्यपाल महोदय के नाम हैं तथा शेष 7.00 लाख रूपये के अंश निगम के सात सदस्यों के नाम है।

3. निगम का संचालक मण्डल :

क्र.सं.	पद नाम	संचालक मण्डल में पद
1.	शासन सचिव, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग	अध्यक्ष
2.	शासन सचिव, कृषि विभाग	निदेशक
3.	शासन सचिव, ग्रामीण विकास विभाग	निदेशक
4.	प्रबन्ध निदेशक, राजस्थान राज्य भण्डार व्यवस्था निगम	निदेशक
5.	रजिस्ट्रार सहकारी समितियॉ	निदेशक
6.	प्रबन्ध निदेशक, राजस्थान राज्य खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति निगम लि.	निदेशक
7.	संयुक्त शासन सचिव, वित्त (व्यय–I) विभाग	निदेशक

4. निगम के कार्य एवं उददेश्य :

4.1 निगम भारत सरकार द्वारा आवंटित खाद्यान्न का भारतीय खाद्य निगम के गोदामों से उठाव कर पूरे प्रदेश में उचित मूल्य की दुकानों पर आपूर्ति करेगा। निगम परिवहन व आपूर्ति हेतु आवश्यक निविदायें एवं ठेके आदि की कार्यवाही सम्पन्न करेगा।

4.2 राज्य के उपभोक्ताओं के उपयोग हेतु निगम गैर पी.डी.एस. सामग्री, बडे निर्माताओं (Manufacturers) से क्रय कर बाजार से सस्ते दामों पर उचित मूल्य की दुकानों के माध्यम से उपलब्ध करायेगा।

4.3 चूंकि उचित मूल्य की दुकानों पर प्रभावी आपूर्ति एवं व्यवस्था बनाना निगम का दायित्व होगा, अतः निगम तहसील स्तर पर जहाँ केन्द्रीय भण्डारण निगम या राज्य भण्डारण निगम के गोदाम उपलब्ध नही है वहाँ राशन सामग्री के भण्डारण हेतु गोदाम आदि किराये पर लेने की व्यवस्था करेगा। लेकिन जहाँ पर राज्य भण्डारण निगम किराये पर गोदाम लेकर किराये पर उपलब्ध कराने की स्थिति में होगा, वहाँ पर निगम भण्डारण हेतु स्वयं गोदाम किराये पर नहीं लेगा।

4.4 निगम राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर जारी निर्देशों के अनुरूप कार्य करेगा।

4.5 बाजार में उपभोक्ता वस्तुओं जैसे दलहन, खाद्य–तेल, चीनी आदि के दाम बढने पर निगम बाजार में हस्तक्षेप कर इन उपभोक्ता वस्तुओं को उपलब्ध कराने का कार्य करेगा।

4.6 इसके साथ ही निगम उचित मूल्य की दुकानों पर राशन सामग्री के अतिरिक्त गैर पी.डी. एस. सामग्री जैसे आयोडाइज्ड नमक, चाय, वाशिंग सोप, पिसे हुए मसालें आदि भी उपलब्ध कराता है ताकि आम उपभोक्ताओं को रोजमर्रा की उपभोक्ता वस्तुएं प्रतिस्पर्धी कीमतों पर प्राप्त हो सके।

4.7 निगम राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर जारी किये जाने वाले निर्देशों के अन्तर्गत अन्य कार्य भी करेगा।

निगम का प्रशासनिक ढांचा

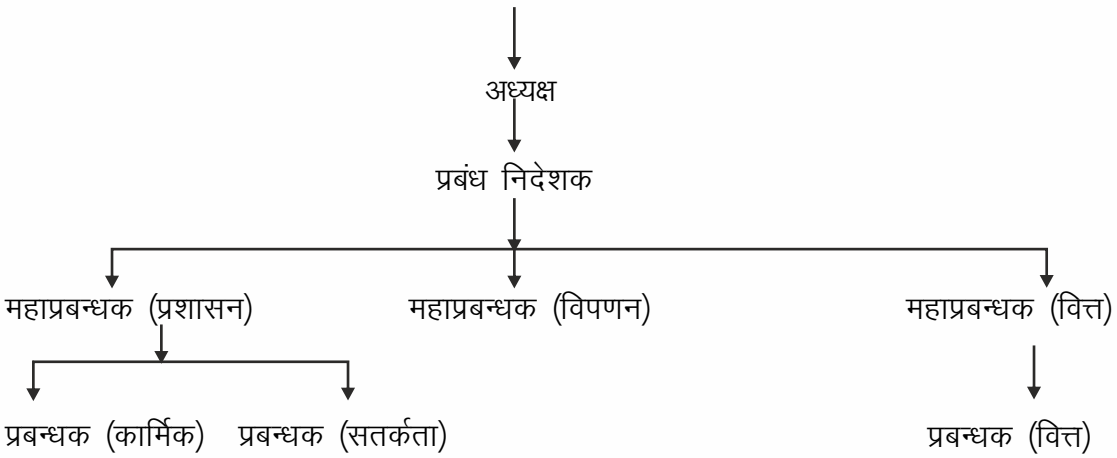

5. निगम में स्वीकृत/कार्यरत तथा रिक्त पदों की स्थिति :

खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामलें विभाग, शासन सचिवालय राजस्थान सरकार, जयपुर के द्वारा दिनांक 24.11.2010 को निगम के त्रिस्तरीय प्रशासनिक ढांचे के लिए पदों एवं सेवाओं के सृजन की स्वीकृति जारी की गई। खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामलें विभाग के आदेश दिनांक 24.11.2010, 21.04.2011, 28.06.2011, 24.10.2011, 17.12.2012 एवं 04.06. 2013 के द्वारा निगम हेतु स्वीकृत/कार्यरत अधिकारियों/कर्मचारियों का विवरण निम्न प्रकार है :–

क्र.सं.	कार्यालय स्तर	स्वीकृत	कार्यरत	रिक्त	रिक्तियों के कारण अस्थाई व्यवस्था के रूप में कार्यरत कार्मिक
1.	निगम कार्यालय (मुख्यालय)	51	15	36	08
2.	जिला कार्यालय	272	135	137	—
3	तहसील स्तर	498	11	487	निगम की तहसील स्तर पर कोई भी ईकाई कार्यरत नहीं है। जिला स्तर पर कार्यरत सतर्कता निरीक्षक (JCO) तहसील स्तर के स्वीकृत पदों के विरूद्ध कार्यरत है।

6. राजस्थान राज्य खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति निगम लि0 के द्वारा सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत खाद्यान्न एवं चीनी के थोक विक्रेता का कार्यः—

1. सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत खाद्यान्न की आपूर्तिः—

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के तहत भारत सरकार द्वारा प्रतिमाह लगभग 2.32 लाख मैट्रिक टन गेंहूं आवंटन किया जा रहा है। भारतीय खाद्य निगम के गोदामों से गेंहूं का उठाव कर पात्र लाभार्थियों को उपलब्ध कराने हेतु प्रतिमाह उचित मूल्य की दुकानों पर आपूर्ति करने का कार्य राजस्थान राज्य खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति निगम लि. के जिलों में पदस्थापित प्रबंधक नागरिक आपूर्ति के द्वारा थोक विक्रेता के रूप में किया जा रहा है।

माननीय मुख्यमंत्री महोदय की वर्ष 2010—11 की बजट घोषणा के अनुरूप निगम का गठन करते हुये भारतीय खाद्य निगम से गेहूं का उठाव कर तथा चीनी मीलों से लेवी चीनी का उठाव कर उचित मूल्य की दुकानों पर आपूर्ति करने का दायित्व निगम को सौंपा गया था।

खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग, राजस्थान, जयपुर के द्वारा दिनांक 11.04.2011 को आदेश जारी कर राजस्थान राज्य खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति निगम लि. जयपुर को सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत केन्द्र सरकार से प्राप्त होने वाले खाद्यान्न/चीनी के उठाव एवं वितरण के लिये सम्पूर्ण राज्य हेतु राज्य स्तरीय प्राधिकृत एजेन्सी के रूप में नियुक्त किया हुआ था। वर्तमान में खाद्य नागरिक आपूर्ति विभाग के आदेश दिनांक 09.07.2024 के द्वारा खाद्यान्न उठाव एवं उचित मूल्य दुकानों पर वितरण हेतु परिवहन का कार्य जिला रसद अधिकारियों द्वारा किया जा रहा है। वर्तमान में दिनांक 31.12.2025 तक निगम द्वारा अजमेर, ब्यावर, भीलवाडा, चित्तोडगढ, चुरू एवं झुंझुंनू जिलों में एवं शेष जिलों में जिला रसद अधिकारियों द्वारा परिवहन का कार्य संपादित किया जा रहा है।

2. सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत चीनी का वितरण

राजस्थान राज्य खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति निगम लि0 सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत चीनी के वितरण हेतु राज्य सरकार द्वारा नियुक्त नोडल एजेन्सी ;छवकंस ।हमदबलद्ध है। भारत सरकार की योजनान्तर्गत अनुदानित चीनी का वितरण अन्त्योदय अन्न योजना ;।।ल्द्ध परिवारों को किया जाता है जिसके अन्तर्गत प्रति परिवार/प्रतिमाह एक किलोग्राम चीनी का वितरण उचित मूल्य दुकानदारों के माध्यम से किया जाता है।

वित्तीय वर्ष 2021–22 के पश्चात निगम द्वारा चीनी का क्रय नहीं किया गया है।

7. गैर पीडीएस वस्तुओं का विपणन कार्य :

- निगम द्वारा उचित मूल्य दुकानदारों के माध्यम से आम उपभोक्ताओं को दैनिक उपयोग में काम में आने वाली सामग्री को किफायती दर, गुणवत्तापूर्ण एवं उचित वजन में उपलब्ध करवाने के उदेश्य से नॉन पीडीएस सामग्री वितरण योजना शुरू की गयी थी।
- योजनान्तर्गत निगम के माध्यम से वितरित वस्तुओं को आम जन उपभोक्ता बिना राशन कार्ड निर्धारित दर पर उचित मूल्य दुकान से क्रय कर सकते है।
- निगम द्वारा गैर पीडीएस के तहत बिस्किट, वॉशिंग सॉप, डिटर्जेन्ट पाउडर, टॉयलेट सॉप, रिफाइन्ड आयोडाइज्ड नमक, रिफाइन्ड डबल फोर्टिफाइड नमक, मसाले, चाय उचित मूल्य दुकानदारों के माध्यम से आमजन को आपूर्ति की जाती थी।
- वर्तमान में किसी भी नॉन पीडीएस सामग्री की आपूर्ति निगम द्वारा नहीं की जा रही है।

8. अन्नपूर्णा भंडार योजना

माननीय मुख्यमंत्री, राजस्थान सरकार के निर्देशानुसार बजट घोषणा वर्ष 2025–26 के बिंदु संख्या 80 के अनुसार ''अल्प आय वर्ग के परिवारों को रोजमर्रा की आवश्यकता का सामान उचित मूल्य पर मिल सके एवं सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत कार्यरत उचित मूल्य दुकानदारों की आर्थिक स्थिति मजबूत बनाने के साथ–साथ उनके माध्यम से जनसाधारण को उच्च गुणवत्ता की मल्टीब्रॉन्ड उपभोक्ता वस्तुएँ उचित एवं प्रतिस्पर्धी दरों पर उपलब्ध'' कराने हेतु 5000 उचित मूल्य की दुकानों पर अन्नपूर्णा भंडार खोले जाने है।

- खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग द्वारा जारी दिशा–निर्देश दिनांक 25.03.2025 तथा मानक संचालन प्रक्रिया एंव (SOP) व प्रशासनिक स्वीकृति आदेश क्रमांक एफ 13( )खावि/बजट घोषणा/2025–26 दिनांक 14.05.2025 को जारी।
- अन्नपूर्णा भंडार खोले जाने हेतु उचित मूल्य दुकानदारों का अन्नपूर्णा भंडार के रूप में रजिस्ट्रेशन राशि 2500/– रू. रजिस्ट्रेशन फीस (रिफन्डेबल) में रजिस्ट्रेशन करवाया जा रहा है। दिनांक 15.12.2025 तक लगभग 2313 (कुल 5000 दुकानों के लक्ष्य का 46.26 प्रतिशत) उचित मूल्य दुकानदारों द्वारा उक्त योजना हेतु रजिस्ट्रेशन करवाया जा चुका है।

- राजस्थान राज्य खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति निगम द्वारा अन्नपूर्णा भंडार योजना के संचालन हेतु प्रथम EOI (Expression of Interest) दिनांक 16.05.2025 को जारी की जाकर अंतिम रूप से सफल तीन फर्मों का Empanelment किया जा चुका हैं।
- उक्त प्रथम ईओआई में एफएमसीजी उत्पाद आपूर्ति करने वाली फर्में सीमित होने के कारण निगम द्वारा द्वितीय ईओआई दिनांक 08.07.2025 को जारी की गई जिसमें 06 फर्मों तकनीकी रूप से सफल पाई गई थी।
- प्रथम EOI में Empanelled व द्वितीय EOI में तकनिकि रूप से सफल फर्मो के उत्पाद सीमित होने एवं उत्पादों की दरें बाजार से अधिक होने के कारण योजना की समीक्षा खाद्य विभाग स्तर से किए जाने बाबत शासन सचिव, महोदय की अध्यक्षता में दिनांक 06.01.2026 को बैठक आयोजित की जायेगी।

9. नॉन डीसीपी योजना

नॉन डीसीपी योजना अन्तर्गत प्रदेश में आरएमएस 2026–27 के दौरान न्यूनतम समर्थन मूल्य पर गेंहू खरीद हेतु जिला हनुमानगढ़ एवं श्रीगंगानगर में 15 खरीद केन्द्र प्रस्तावित किये गये है।

10.निगम के विगत छः वर्षो के वित्तीय परिणाम

क्र.स.	विवरण	वर्ष 2013–14	वर्ष 2014–15	वर्ष 2015–16	वर्ष 2016–17	वर्ष 2017–18	वर्ष 2018–19	वर्ष 2019–20
1	Profit before interest & Depreciation	944.25	1396.62	1598.07	701.72	449.39	213.02	121.96
2	Less: interest	छपस	688.15	638.5	30.27	8.97	11.92	3.85
3	Operational Profit/Loss	944.25	708.447	959.57	671.45	440.42	201.10	118.11
4	Less: Depreciation	40.71	60.87	17.49	14.63	18.33	14.20	8.76
5	Profit/Loss after Interest& Depreciattion	903.54	647.87	942.08	656.82	422.09	186.90	109.35
6	Profit/Loss for appropriation	504.63	515.02	566.35	351.31	247.50	86.90	60.25

वर्ष 2020–21 व अग्रिम वर्षो के अंकेक्षित लेखे तैयार नहीं है।

11. पॉस मशीन के रखरखाव का कार्य

राज्य सरकार के निर्देशानुसार निगम को पॉस मशीन के सालाना रखरखाव का कार्य भी आवंटित किया गया हैं। आदेशों की अनुपालना में 2 फर्मों को 26,737 पॉस मशीनों के रखरखाव का कार्य 5 वर्ष के लिए दिया गया है। मैसर्स कॉम्पेक्ट कम्प्यूटर, जयपुर को 16,042 पोस मशीनों के रखरखाव का आदेश दिया गया है, जिसकी राशि 79,66,56,629/– रू है। मैसर्स बालाजी इम्फोल्यूब को 10,695 पॉस मशीनों के रखरखाव का कार्य दिया गया है, जिसकी राशि 53,11,20,973/– रू है।

दोनो फर्मों द्वारा पहले से खराब हुई मशीनों को बदलते हुए प्रथम चार वर्षों में संपूर्ण मशीनें रिप्लेस की जानी है। दोनो फर्मों द्वारा माह सितंबर 2021 से रखरखाव का कार्य प्रारंभ कर दिया गया है।

फर्मों द्वारा रिपेयर व रिप्लेस की गई मशीनों का विवरण निम्नानुसार है:–

- कुल मशीनें –26,737
- रिपेयर की गई मशीनें – 90,930
- राज्य की समस्त सक्रिय उचित मूल्य दुकानों पर नवीन 4जी मशीने प्रतिस्थापित कर दी गयी है।

12. राशन की दुकानों हेतु Electronic Weight Manchine and IRIS Machine का क्रय

माननीय मुख्यमंत्री महोदय की बजट घोषणा वर्ष 2023–24 के बिन्दु संख्या 63 (Iv) के अनुसार " राशन की दुकानो कों Digital Weight Briges उपलब्ध कराकर उन्हें POS (Point Of Sale) मशीनों से जोड़ा जायेगा। इससे NFSA लाभार्थियों को उनके हक का पूरा राशन मिल सकेगा, की क्रियान्विति हेतु वित्त विभाग की आईडी संख्या 102301685 दिनांक 18.09.2023 के क्रम में पोस मशीनों की Electronic Weight Manchine and IRIS Machine से संयोजित किये जाने के लिए दोनो मशीनों के क्रय हेतु रूपये 63.00 करोड की सैद्धांतिक स्वीकृति प्रदान की गई। उक्त आदेशों की पालना में निगम द्वारा निविदा की प्रक्रिया पूर्ण करके दो फर्मों (मैसर्स बालाजी इन्फो ल्यूब, जोधपुर एवं मैसर्स कॉम्पेक्ट कम्प्यूटर एंड पेरिफेरल्स, जयपुर) को कार्यादेश दिनांक 05.10.2023 को जारी किया गया। उक्त कार्यादेश के अनुसार मैसर्स बालाजी इन्फोल्यूब, जोधपुर को 16042 Electronic Weight Machine एवं 14542 IRIS Machine के क्रय एवं रखरखाव का कार्य दिया गया है, जिसकी राशि 37,68,12,000/– रू. है। एवं मैसर्स कॉम्पेक्ट कम्प्यूटर एंड पेरिफेरल्स, जयपुर को 10695 Electronic Weight Machine एवं 9695 IRIS Machine के क्रय एवं रखरखाव का कार्य दिया गया है, जिसकी राशि 25,12,08,000/– रू0 है।

वर्तमान में ई–वेइंग मशीन व आयरिस स्केनर प्रोजेक्ट हेतु प्रगति निम्नानुसार है:–

समस्त सक्रिय उचित मूल्य दुकानों पर ई–वेईंग मशीन व आयरिस स्केनर का पोस मशीनों से संयोजित कर स्थापित कर दिया गया है।

ई–वेइंग मशीन सम्बंधित प्राप्त 6753 शिकायतों मे से 6710 शिकायतों का निस्तारण किया जा चुका है।

आयरिस स्केनर मशीन से संबंधित प्राप्त 2876 शिकायतों मे से 2862 का निस्तारण किया जा चुका है।

★ ★ ★ ★ ★